राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक– 01.10.2020

विस्तृत आवेदन पत्र और प्राथमिकता क्रम भरने के संबंध में

आरएएस परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 21.08.2020 को विज्ञप्ति जारी करते हुएविस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरने के लिए दिनांक 24.08.2020 से 07.09.2020 तक ऑनलाईन अवसर प्रदान किया गया है तथा उसी क्रम में सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन विस्तृत आवेदन और प्राथमिकता क्रम नहीं भरे है, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः दिनांक 02.10. 2020 से 08.10.2020 (रात्रि 12.00) तक लिंक खोला जा रहा है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अथवा SSO पोर्टल **https://sso.rajasthan.gov.in** पर लॉगिन कर तथा रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंतर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम **ऑनलाईन** भरें। ऑफलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नही किये जावेगें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम नही भरे जावेंगे उनको साक्षात्कार से वंचित करते हुए पात्रता निरस्त कर दी जावेगी। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारी (DC) और भूतपूर्व सैनिक वर्ग (EX) के अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र व सेवा प्राथमिकता क्रम (हार्डकॉपी) मय शैक्षणिक दस्तावेजों के आवश्यक रूप से जमा करावें।

SP/ EX/DC वर्ग के अभ्यर्थियों की हार्डकापी जमा कराने के सबंध में

उक्त विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2020 के अन्तर्गत ही आर.ए.एस. परीक्षा, 2018 के SP/EX/DC वर्ग के अभ्यर्थियों से ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरने के उपरान्त दिनांक 14.09.2020 तक विस्तृत आवेदन पत्र की हार्डकापी मय संलग्नकों के आयोग कार्यालय में जमा कराने बाबत निर्देशित किया गया था परन्तु उत्कृष्ट खिलाडी (SP) और विभागीय कर्मचारी (DC) श्रेणी के कतिपय अभ्यर्थियों ने हार्डकॉपी आयोग कार्यालय में जमा नही करायी है। अतः उत्कृष्ट खिलाडी (SP) और विभागीय कर्मचारी (DC) वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन पत्र की हार्डकॉपी मय संलग्नकों के आयोग कार्यालय में जमा नही कराई है, वे 07 दिवस में आवश्यक रूप से हार्डकापी आयोग कार्यालय में जमा करावें अन्यथा उन्हें साक्षात्कार से वंचित करते हुए पात्रता निरस्त कर दी जावेगी।

(नीतू यादव)
संयुक्त सचिव